न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, दानापुर

(उपस्थितः– श्री कुमार गुंजन, प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, दानापुर)

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 1152 / 2026

(आई0आई0टी0 अमहारा थाना कांड संख्या– 236 / 2025)

1. अजय कुमार राम, पिता– भरत राय,
2. अनुपमा कुमारी, पिता– अजय कुमार राय,

दोनों निवासीः ग्राम – विलाप, थाना– आई0आई0टी0 अमहारा, जिला– पटना;

..... आवेदकगण

बनाम

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री जितेन्द्र शर्मा, (अधिवक्ता)

सूचक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री अनिल कुमार सिंह, (अधिवक्ता)

विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता : श्री रामकेश्वर प्रसाद (विद्वान अपर लोक अभियोजक)

———————————————————————————————————

आदेश

27.05.2026 आई0आई0टी0 अमहारा थाना काण्ड संख्या– 236 / 2025, जो भा0न्या0सं0 की धारा 318(4), 316(2), 126(2), 115(2), 352, 351(2), 3(5) से संबंधित है, के उपरोक्त नामित याची अभियुक्त अजय कुमार एवं अनुपमा कुमारी की ओर से यह नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस आवेदन पर आवेदकगण एवं सूचक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

काण्ड के सूचक अवनीश कुमार मिश्र, के द्वारा दिये गये आवेदन के अनुसार अभियेाजन कथानक सार रूप से इस प्रकार है कि आवेदकगण एवं सह अभियुक्त हर्षण कुमार उर्फ अविनाश कुमार को सूचक ने फ्लैट दिलाने के नाम पर वर्ष 2020 में 12 लाख रूपया एडवांस के रूप में दिया था, जिसमें 10 लाख 25 हजार रूपया एकाउण्ट के माध्यम से तथा 1 लाख 75 हजार रूपया कैश दिया था, किन्तु पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी सूचक को फ्लैट नहीं दिलवाया और ना ही उनका पैसा वापस किया।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से इस कांड के संदर्भ में इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य अग्रिम जमानत आवेदन या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है एवं यह आवेदकगण का पहला जमानत आवेदन है। आवेदकगण का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। पैसों का लेन–देन सूचक तथा सह अभियुक्त हर्षण कुमार उर्फ अविनाश कुमार के बीच हुआ था तथा मारपीट का आरोप झूठा है। आवेदकगण एवं सूचक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि दोनों पक्षकारों के मध्य सुलह हो गया है तथा **सुलह के शर्त के मुताबिक नियमित जमानत आवेदन संख्या– 612 / 2026 के अभियुक्त हर्षण कुमार उर्फ अविनाश कुमार, जो कि आवेदक संख्या– 1 अजय कुमार के पुत्र है, के द्वारा**

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, दानापुर

(उपस्थितः– श्री कुमार गुंजन, प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, दानापुर)

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 1152 / 2026

(आई0आई0टी0 अमहारा थाना कांड संख्या– 236 / 2025)

अजय कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार

.....

लगातार –2–

27.05.2026

कुल रकम 12 लाख रूपये में से 3 लाख रूपया दिया गया है तथा शेष रकम आठ किस्तों में देंगे, जिसके समर्थन में सुलहनामा भी दाखिल किया गया है तथा सुलहनामा पर दोनों पक्षों का हस्ताक्षर है।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधारों पर आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया। अभिलेख सहित कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि इस कांड में प्राथमिकी भा0न्या0सं0 की धारा 318(4), 316(2), 126(2), 115(2), 352, 351(2), 3(5) के अंतर्गत दर्ज करायी गयी है। लगायी गई धाराओं में भा0न्या0सं0 की धारा 318(4) एवं 316(2) को छोड़कर अन्य सभी जमानतीय है। भा0न्या0सं0 की धारा 318(4) एवं 316(2) सुलहनीय है एवं पक्षकारों ने स्वेच्छा से सुलह कर लिया है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा सुलह को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्तगण को विद्वान विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर दस हजार के दो स्थानीय प्रतिभुओं से समर्थित बंध पत्र एवं दं0प्र0सं0 की धारा 438(2) में उपबन्धित शर्तों के अनुपालन के लिए वचन पत्र दिये जाने पर जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

कार्यालय इस आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित करे।

लेखापित

Sd./-

(श्री कुमार गुंजन)

अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम

व्यवहार न्यायालय दानापुर।